झारखण्ड विधान सभा

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) में संशोधन हेतु विधेयक

प्रस्तावना

राज्य में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने हेतु संस्कृत पढ़ाने वाले महाविद्यालयों को सुदृढ़ करने हेतु राज्य सरकार संस्कृत भाषा के पठन–पाठन के लिए एक समर्पित विश्वविद्यालय के गठन करने का विचार रखती है, जिसका नाम "बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय" और जिसका मुख्यालय देवघर, झारखंड में होगा। संस्कृत में अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारिता, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अन्तर्गत आते है, इस विश्वविद्यालय के अधिकारिता क्षेत्र में आ जायेंगे।

इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु "बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय" की झारखंड राज्य में स्थापना और उसके अनुरूप झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) में संशोधन का प्रस्ताव है।

अतएव भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

अध्याय – 1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

(i) यह अधिनियम, "झारखंड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019" कहा जाएगा।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रभावी होगा।

अध्याय–2

2. झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत) की धारा–3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा–(1) (f) का प्रतिस्थापनः–

वर्त्तमान धारा–3 की उपधारा–(1)(f) में वर्त्तमान प्रावधानः–

"विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय हजारीबाग में होगा और जिसकी अधिकारिता बोकारो तथा धनबाद जिलों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल पर होगा।

परन्तु, होमियोपैथी, स्वदेशी चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाली शैक्षिक संस्थाएँ और संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा ऐसे दूसरी भाषाएँ जिसे विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, में अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने वाली शैक्षिक संस्थाओं के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारिता पूरे झारखण्ड राज्य के लिए होगा।"

निम्नलिखित प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाता है।

धारा–3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा–(1)(f) का प्रतिस्थापनः–

"विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय हजारीबाग में होगा और जिसकी अधिकारिता बोकारो तथा धनबाद जिलों को छोड़कर सम्पूर्ण उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल पर होगा।

परन्तु, होमियोपैथी, स्वदेशी चिकित्सा में शिक्षण प्रदान करने वाली शैक्षिक संस्थाएँ और पाली, प्राकृत तथा ऐसे दूसरी भाषाएँ जिसे विश्वविद्यालय आवश्यक समझे, में अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने वाली शैक्षिक संस्थाओं के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारिता पूरे झारखण्ड राज्य के लिए होगा। संस्कृत में अकादमिक उत्कृष्टता प्रदान करने वाली शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारिता, जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अन्तर्गत आते है, बाबा वैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, देवघर के अधिकारिता क्षेत्र में आ जायेंगे।"

अध्याय – 3

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (अंगीकृत एवं यथा संशोधित) की धारा–3 (विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं संयोजन) की उपधारा–1(r) का समावेशन

निम्नलिखित प्रावधान का समावेशन हो :–

झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 अंगीकृत एवं यथा संशोधित), जिसे इसके बाद कथित अधिनियम के नाम से जाना जायेगा, की धारा–3 की उपधारा–1 (q) के अंत में निम्नलिखित उपधारा–1(r) के रूप में समावेश किया जायेगा।

"3(1)(r) बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय देवघर, झारखण्ड में होगा और जिसकी अधिकारिता पूरे झारखण्ड राज्य पर होगा।"

यह विधेयक झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019 दिनांक 25 जुलाई, 2019 को झारखण्ड विधान सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 25 जुलाई, 2019 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(दिनेश उराँव)
अध्यक्ष

झा०रा०मु० राँची (एल०ए०) 35—50—13-8-2019